न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—128 / 2017 / 223 (2017 / 000128)

1. रतनसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कालेसरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. टंवर सिंह पुत्र स्व0 शेरसिंह,
2. उम्मेदसिंह पुत्र स्व0 शेरसिंह,
3. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 शेरसिंह,
4. विक्रमसिंह पुत्र स्व0 शेरसिंह,
5. श्रीमती पान कंवर पत्नि स्व0 शेरसिंह,
6. विनोद कंवर पुत्री स्व0 शेरसिंह,
7. भंवरसिंह पुत्र जोरावरसिंह,
8. मगनसिंह पुत्र चिमनसिंह,
   जाति राजपूत, निवासी ग्राम कालेसरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 12.11.2016 अंतर्गत वाद संख्या 73 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.

निर्णय

दिनांकः—26.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांग के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजियात खसरा नंबर 1620 रकबा 0.61 है0, 1621 रकबा 0.64 हे0, 1622 रकबा 0.61 है0, 1631 / 3485 रकबा 0.17 है0 भूमियां ग्राम कालेसरा , तहसील पीसांगन में स्थित है । उक्त भूमियां वादीगण की पैतृक कृषि आराजी है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण

आज दिवस तक काबिज चले आ रहे है । वादगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के मध्य आये दिन अपने–अपने हिस्से व सीमा को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है क्योंकि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का आज दिनांक तक बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विवादित भूमि का बिना बंटवारा कराये तथा बिना संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि पर मकान इत्यादि का निर्माण एवं सौर उर्जा का प्लांट लगाने पर आमादा है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार विधिक बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट ने सन् 2003 में वादीगण के पूर्वजों से क्रय की थी एवं उनके द्वारा काबिज कराये गये हिस्से जो हाल खसरा नंबर 1621 रकबा 0.64 है0 पर ही अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है एव ंक्रय के बाद उक्त आराजी पर तारबंदी की गई है । अपनी क्रयशुदा आराजी पर अपीलांट ने कुआं भी खुदवाया है तथा उक्त कुएं पर सोलर योजना एवं सहयोग से सौर उर्जा का पम्प लगवा रहा है जिससे नाराज होकर वादीगण/रेस्पो0 ने यह वाद पत्र पेश किया है । अधी0न्याया0 को कदीमी कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर अंतिम डिक्री जारी करनी चाहिये थी लेकिन रेस्पो0 विभाजन नहीं होने दे रहे है । बहस में आगे कथन किया वादीगण के पूर्वजों द्वारा अपीलांट को 1/3 हिस्सा भूमि विक्रय कर विशिष्ट भू–भाग जो हाल खसरा संख्या 1621 रकबा 0.64 है0 पर काबिज करवाया गया था जो वादीगण के पूर्वजों की स्वंय स्वीकृति है इसके विपरीत वादीगण ने कथन कारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करवायी है । अधी0न्याया0 ने कैम्प कोर्ट कालेसरा में दिनांक 12.11.2016 को निर्णय एवं डिक्री एक साथ जारी कर दी । अर्थात् उसे निर्णय माना जावे या डिक्री माना जावे स्पष्ट नहीं है जबकि प्राथमिक डिक्री का निर्णय पृथक से लिखाया जाता है तत्पश्चात् उक्त निर्णय के आधार पर पृथक से आज्ञाप्ति जारी की जाती है लेकिन अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय के मुख्य पृष्ठ पर निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.11.2016 अंकित करते हुए निर्णय को ही अंतिम पैरा में डिक्री की शक्ल में पारित कर दिया जो आदेश 20 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होकर काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.5.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 से कब्जे काश्त अनुसार कुरेजात रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करवा कर अंतिम डिक्री जारी करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर वे स्पष्ट इंकार हो गये ओर कहा कि हम वाद प्रस्तुत कर तुझे कृषि नहीं करने देगे, सिंचाई नहीं करने देने एवं कुएं पर सौर उर्जा नहीं लगान देने के लिये वाद प्रस्तुत किया था और हम हमारे उद्देश्य में सफल हो चुके है इसलिये कोई बंटवारा नहीं करेगें तब प्रार्थी ने अभिभाषक से राय ली जिन्होंने मान0 न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत

करने हेतु सलाह दी जिस पर दिनांक 26.5.2017 को नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 27.5.2017 को नकल प्राप्त होने के उपरांत न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाकिव है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट को विवादित आराजियात में 1/3 हिस्से का बैचान किया गया था न कि विशिष्ट भू–भाग का । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है। हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को चाहिये था कि विधिवत् विवाद बिन्दू कायम कर दोनों पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिये था परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा दौराने कैम्प बिना उपरोक्त प्रक्रिया को अपनाये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार, पीसांगन द्वारा भिजवाई गई है यदि पक्षकारान को आपत्ति है तो पक्षकारान विधिवत् आपत्ति प्रस्तुत करे एवं अधी0न्याया0 उसका निस्तारण करे । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.11.2016 खारिज की जाती है । प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर